रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67 / 2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :– ,
सम्पादक, इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट, 127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –39 ● अंक –16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2017 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

सदन में स्वास्थ्य राज्यमंत्री के बयान पर

इहमाई व बोर्ड ने रखा अकाट्य पक्ष

28 जुलाई, 2017 को लोक सभा में 3 सांसदों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के संदर्भ में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जिनका उत्तर भारत की स्वास्थ्य राज्यमंत्री माननीया श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने संसद में दिया, कुछ लोगों ने 28 जुलाई को ही दूरदर्शन द्वारा किये जा रहे सजीव प्रसारण के माध्यम से देखा और अपने अपने स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रचारित व प्रसारित भी किया, अगले दिन यानी 29 जुलाई, 2017 को पूरे देश के समाचार पत्रों ने अपने अपने हिसाब से चटपटी हेडिंग्स के साथ प्रकाशित कर जन मानस के समक्ष प्रस्तुत किया और हमारे साथियों ने इस समाचार को अपने अपने दृष्टिकोण से पढ़ा और शुरु हो गया एक दूसरे से समाचारों के आदान प्रदान का सिलसिला, दिन गरमाते गरमाते हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ गर्म हो चुके थे हर तरफ़ चिन्ता और भय का वातावरण पैदा हो रहा था जिन नेताओं के पास अभी तक काम नहीं था उन्हें बैठे बिठाये एक ज्वलन्त मुद्दा मिल गया था इस मुद्दे का हमारे नेताओं ने भरपूर लाभ उठाया। फेसबुक व वाट्सऐप के माध्यम से इस समाचार को इतना तूल देकर प्रचारित व प्रसारित किया किया कि कुछ पल के लिये व्यक्ति को सोचने पर विवश कर दिया क्या फिर से कोई गाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर गिरी है ?

दूध का जला छाँछ फूँक कर पीता है वाली कहावत इस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर पूरे तौर पर लागू हो रही थी, हर व्यक्ति डर रहा था कि कहीं यह 25 नवम्बर, 2003 की पुनरावृत्ति तो नहीं है ! फेसबुक पर लोगों की राय आने लगी, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, लोग एक दूसरे को मुफ़्त में सलाह देने लगे, कोई कहने लगा कि संसद का घेराव करो, तो किसी ने अपनी महत्वपूर्ण राय में कहा कि माननीया मंत्री जी से मिलकर उनसे आग्रह करें कि वे अपना बयान वापस लें, लोगों में इतना जोश था कि वे अपना संयम एवं विवेक दोनों खो चुके थे, रायचन्द्रों की बन आयी थी, वैसे भी हमारे भारत देश में रायचन्द्रों की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने कभी उंगली से कभी फांस भी नहीं निकलवायी वे ओपेन हार्ट सर्जरी की राय देने लगते हैं।

- ✓ मंत्री जी की सोच सकारात्मक
- ✓ मान्यता की गारन्टी
- ✓ 25 नवम्बर, 2003 हो आधार
- ✓ हर कदम सफ़लता की ओर
- ✓ हितों से कोई समझौता नहीं
- ✓ संकल्प से ही मिलेगी सफ़लता

यह हालत 29 जुलाई, 2017 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में हर जगह दिखायी पड़ रही थी, जिन्होंने कभी न्यायालय का मुँह तक नहीं देखा वे अवमानना की बात कर रहे थे। हंसी आती है जहां दखल नहीं वहां विशेषज्ञता की बात की जाती है, अवमाननावाद कहाँ और किस पर चलाया जाता है इसकी प्रारम्भिक जानकारी तो कहने वालों को तो होनी ही चाहिये अन्यथः उनकी कही बात हंसी में उड़ जाती है, कुछ लोगों ने लिखा कि मंत्री बनना आसान है इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखना बहुत कठिन है, यह बात सच है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझा रहे हैं इसे सीखना आसान नहीं होता इन पंक्तियो को लिखते समय फेसबुक का एक समाचार सामने चल रहा है "सीखिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी मात्र दो दिनों में"(नागपुर में)।

यह तो अपने अपने ज्ञान पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किस विषय को कितनी जल्दी सीखता है ! और कौन पूरे जीवन पढ़ता है फिर भी कुछ सीख नहीं पाता ! अब हम मुख्य बिन्दु पर आते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हो रहे इस पूरे घटनाक्रम पर इहमाई और बोर्ड पैनी दृष्टि रखे हुये था लोगों की प्रतिक्रियायें जानने एवं सुनने के बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि माननीया मंत्री जी के उत्तर का वास्तविक भाव जनता के सामने रखा जाये जिससे कि चिकित्सकों का मनोबल न गिरे और सामान्यजन के बीच में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये गलत निर्णय अथवा गलत संदेश नहीं जाये इस हेतु 31 जुलाई, 2017 को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने माननीया अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारत सरकार को पत्र लिख कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता व वास्तविक स्थिति से अवगत कराया।

बोर्ड द्वारा लिखा गया पत्र आपकी जानकारी हेतु गज़ट के इसी अंक में पेज नम्बर 4 पर प्रकाशित है। यह कदम माननीया मंत्री जी के जानकारी हेतु उठाया गया था, वहीं चिकित्सक व जनसामान्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया व बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने संयुक्त रुप से यह निर्णय लिया कि पूरे देश में पत्रकार वार्तायें कर लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाये जिससे कि चिकित्सकों के मन में व्याप्त निर्मूल भ्रांतियां दूर हो सकें, प्रदेश स्तर पर यह प्रेस वार्तायें बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के बैनर तले होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रेस वार्तायें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के तत्वाधान में की जायेंगी।

प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन पत्रकार वार्ताओं की जिम्मेदारी डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी को दी गयी है, प्रथम चरण में हमीरपुर, आगरा, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व

शेष अंतिम पेज पर

संयम व संयत रहने की ज़रुरत

जीवन में संयम का एक अलग ही स्थान है संयम से बिगड़े हुये काम बन जाते हैं परन्तु यह तभी संभव होता है जब नियम को संयम का साथ मिलता है, संयम एवं संयत दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, अस्तु संयत रहें संयम रखें।

गुज़री 28 जुलाई, 2017 को भारत की संसद में इलेक्ट्रो होम्यापैथी की आवाज़ सुनाई पड़ी और यही वह आवाज़ थी जिसने पूरे भारत के इलेक्ट्रो होम्यापैथ को झंकझोर के रख दिया, संसद की वह ध्वनि पूरे देश में प्रतिध्वनि बनकर सुनाई पड़ने लगी जो वर्षों से इलेक्ट्रो होम्यापैथी की गति को नहीं समझ पा रहा था वह एक झटके में बहुत कुछ समझ गया और इसी ज़्यादा समझदारी ने एक बार फिर से इलेक्ट्रो होम्यापैथी की शान्त पड़ी ज़मीन पर ज्वालामुखी के लावे फैला दिये, वैसे अभी तक इन लावों की झुलस से कोई हताहत तो नहीं हुआ है परन्तु इन लावों की भावों की तपिश से शान्त पड़े वातावरण में एक हलचल सी मच गई जो प्रबुद्धजन थे वे गुनगुनाने लगे .....

ठहरे हुये पानी में पत्थर तो न मार।
मन में हलचल सी मच जायेगी।।

वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्यापैथी में जो हलचल दिखाई पड़ रही है वह अकारण नहीं है इस हलचल के आगे भी हम हैं और पीछे भी हम ही हैं, यदि हम पाँच महीने पीछे जायें तो 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्यापैथी को विनियतिम करने के लिये एक मैकेनिज़्म की नोटिस जारी कर दिया गया, इस नोटिस के माध्यम से सरकार ने हमारे साथियों से निश्चित बिन्दु पर जानकारी चाही और इस जानकारी के लिये तीन–तीन महीनों के अन्तराल में समयावधि निश्चित की गई, प्रथम प्रखण्ड में ही देश के सात लोगों ने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये, इसे संयोग ही कहा जायेगा कि पहले ही दृष्टि में सरकार ने सात के सातों प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिये जो अग्रिम पंक्ति में रहना चाहते थे वह प्रथम आवृत्ति में ही पंक्ति से बाहर हो गये, तिलमिलाहट दिखा तो नहीं पाये परन्तु असहाय से नज़र ज़रुर आने लगे।

अभी प्रतिवेदन अस्वीकार होने की खबर ठण्डी ही नहीं पड़ी थी कि लोक सभा में भारत की स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने अपने बयानों से एक नई गरमी पैदा कर दी, वैसे देखा जाये तो माननीया मंत्री जी के बयानों में इतनी तपिश नहीं है जो किसी को झुलसा सके। सीधा–साधा सा जवाब है जो आप पूछेंगे वही तो उत्तर पायेंगे एक ही दिन एक ही समय पर तीन–तीन सांसदों ने एक साथ शिकायत भरे प्रश्न कर के एक नई हलचल पैदा कर दी।

अब हमें इस विषय पर नहीं जाना है कि इन सांसदों ने ऐसे प्रश्न क्यों किये ?हमें इस विषय पर भी नहीं सोचना चाहिये कि जब सबकुछ सकारात्मक चल रहा था तो इस तरह के शिकायत भरे प्रश्न करने का क्या औचित्य है ?जो कुछ भी होना था वह तो हो गया अब इस विषय पर व्यर्थ की माथापच्ची करने से क्या प्राप्त होने वाला है, अब तो समय है कि हम उन बिन्दुओं पर ही चर्चा करें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्यापैथों का हित हो सके।

फिलहाल देश में इस समय इलेक्ट्रो होम्यापैथी का वातावरण बहुत गर्म है कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं वे माननीया मंत्री जी के वक्तव्य से बहुत आहत हैं जिसके कारण उनकी सोच अस्थिर सी हो गई है और इसी सोच का इतना प्रचार किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा अधिकांश चिकित्सक मन ही मन भयभीत सा रहने लगा है जबकि भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं है, जीवन के पथ पर चलते हुये सफलता पाने के लिये बहुत संघर्ष करना पड़ता है कभी परिस्थितियां हमें सहज बना देती हैं और कभी यही परिस्थितियां हमें असहज बना देती हैं।

सहज हो या असहज दोनों ही स्थितियों में यदि हम धैर्य नहीं खोते हैं तो परिस्थितियां सामान्य होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जिस तरह की परिस्थिति इस समय इलेक्ट्रो होम्यापैथी की है वह कहीं से भी हममें से किसी को भी असहज नहीं बनाती है।

यह तो समय का तकाज़ा है कि कब क्या होना है किसी को पता नहीं होता परन्तु इतना तो पता होता है कि सोते हुये सिंह को छेड़ोगे तो परिस्थितियां प्रतिकूल तो होंगी ही।

बदलने लगी है मनःस्थिति

बदलाव का इन्तेज़ार वर्षों से हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ कर रहे हैं, इन्तेज़ार करते–करते कुछ की तो आँखें ही बन्द हो गयीं, कईयों की आँखें पथरा गईं और जो हम जैसे हैं वे आज भी इन्तेज़ार से ऊबे नहीं हैं और अभी भी इस इन्तेज़ार में हैं कि बदलाव आयेगा और हम सबके जीवन संवर जायेंगे, जो ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते वह अक्सर यह कह देते हैं कि.....

इन्तेहा हो गई तेरे इन्तेज़ार की।
आई ना कुछ खबर .....।।

परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी में खबरें तो अच्छी आया करती हैं पर अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं और इन्हीं अच्छे दिनो का इन्तेज़ार हमें भी है। हमारे गज़ट के सुविज्ञ पाठकों को याद होगा कि आज से दो साल पहले हमने कहा था कि अच्छे दिन आनें वाले हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि यह अच्छे दिन कब आयेंगे ?ऐसे लोगों की जानकारी के लिये हम बता दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अच्छे दिनों की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब 28 फ़रवरी, 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मैकेनिज़्म के लिये एक मसौदा बना कर प्रस्तुत किया था अब इस मसौदे में जो कुछ भी जानकारियां मांगी गई थीं उसे भारत सरकार तक पहुँचाने का दायित्व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के उन लोगों को है जो पूरे भारत मे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने का दम भरते हैं, वैसे तो यह काम हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी कर सकता है परन्तु हर एक के पास न तो इतनी जानकारियां हैं और न ही इतनी क्षमता कि वह हर प्रश्न का उत्तर समुचित रुप से दे सके जिन लोगों ने आगे बढ़कर पहल की उनसे भी कुछ खास इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लाभ नहीं मिल सका वरन लाभ के स्थान पर आंशिक हानि भी उठानी पड़ी है, हर आंदोलन में हानि–लाभ तो होता ही रहता है परन्तु सजग वही होता है जो हर कदम पर अपनी पैनी निगाह रखता है और हर गलतियों से कुछ न कुछ सीख लेते हुये भविष्य की नई योजना बनाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तो सबकुछ ठीक–ठाक चल रहा है भारत सरकार की दृष्टि भी एकदम सकारात्मक है, माननीया मंत्री जी ने सदन में जो कुछ भी कहा वह इस बात का संकेत दे रहा है कि कोई कितनी भी शिकायत क्यों न कर ले परन्तु भारत सरकार अपने दृष्टिकोण से डिग नहीं रही है।

यद्यपि एक समाचार पत्र ने सदन में पूछे गये प्रश्नों के जवाब को इस कदर व्याखित करके छापा कि हमारे बहुत से सीधे–साधे चिकित्सक भ्रमित हो गये, भ्रमित ही नहीं उनके अन्दर एक ऐसा डर भी व्याप्त हो गया कि क्या पुनः एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वही दिन देखने पड़ेंगे जो भारत सरकार द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 के आदेश की गलत व्याख्या होने के कारण देखने पड़े थे। सत्य तो यह है कि जिस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश से हम जितना भयभीत होते हैं उतना ही यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये वरदान बनकर सामने आता है। 25 नवम्बर, 2003 का आदेश ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विनियमतिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और अभी 28 जुलाई, 2017 को माननीया मंत्री जी ने जो कुछ भी सदन में कहा उसमें 25 नवम्बर, 2003 का अंश दिखायी पड़ता है।

समय ज्यों–ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यों–त्यों लोगों के विचारों में परिवर्तन भी हो रहा है, अब देश के 80 प्रतिशत से ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नेतागण यह निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी तरह से सबको एक दृष्टिकोण रखते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निर्णय तो करवा ही लेना है, भारत सरकार द्वारा पूछे गये प्रश्नावली में 2 बिन्दु ऐसे भी हैं जिसपर आम सहमति नहीं बन पा रही थी उसमें से एक बिन्दु है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वैज्ञानिकता को सिद्ध करने का और दूसरा बिन्दु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के औषधि निर्माण से सम्बन्धित, जबकि भारत सरकार ने जो प्रश्नावली जारी की है उसमें इन दोनों बिन्दुओं के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, जब यह विचार गज़ट के संज्ञान में आये, गज़ट ने अपने साथियों को जागरुक करने के लिये अपने स्तर से प्रयास प्रारम्भ कर दिये और इसका लाभ भी मिला, लोगों के विचारों में परिवर्तन आये और जो उनके मन में गलतफ़हमियां थीं वह भी थोड़ी–बहुत दूर हुयी हैं, आपसी सामंजस्य भी बढ़ा है परन्तु एक बात अभी भी वहीं पर अटकी हुयी है कि हर संस्था संचालक अपने स्तर से प्रपोज़ल देना चाहता है और जो प्रपोज़ल वह देता है उसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं देता है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि प्रपोज़लों में जो लगभग समानता होनी चाहिये उसका स्पष्ट अभाव दिख रहा है, यदि यह थोड़ी सी कमी दूर हो जाये तो निःसंदेह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बढ़ते कदमों को और भी गति मिल जायेगी, औषधियों के विषय में जो मतभेद थे शनैः शनैः वे भी दूर हो रहे हैं, स्पैजिरिक के बारे में भी विचार धारा बदल रही है और हमारे सथी अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण की विधि जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया (जी0एच0पी0) में अन्तर निहित हैं।

आपको जानकारी होनी चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण की विधि जिसे हम स्पैजिरिक कहते हैं यह स्पैजिरिक विधि सन् 1978 में जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में इन्कार्पोरेट की गयी थी, चूँकि जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया भारत सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक औषधि निर्माण का एक मानक ग्रंथ है और यह सर्व मान्य भी है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी इसी मानक ग्रंथ का एक अंश है इसलिये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि निर्माण का महत्वपूर्ण अंग है इसे कोई अस्वीकार नहीं करसकता है, भारत सरकार भी इसकी स्वीकारिता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है, इस तरह से जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत भ्रांतियां थीं बड़ी तेज़ी के साथ यह भ्रांतियां दूर हो रही हैं, लोगों के मन में विश्वास जग रहा है और यही विश्वास हमें आश्वस्त कर रहा है कि बदली हुयी मानसिकता के साथ जब हमारे साथी भारत सरकार के सामने होंगे तो विजयश्री उनका वरण कर रही होगी और वर्षों से चली आ रही अनवरत प्रतीक्षा भी समाप्त होकर हम सब को उत्साह का मार्ग प्रशस्त करेगी।

यही उत्साह विजय देगा।

सांसद का प्रश्न——मंत्री का जवाब

28 जुलाई, 2017 को लोक सभा में माननीय सांसदों ने जो प्रश्न किये और माननीया मंत्री जी ने जो उत्तर दिये और समाचार पंत्रों

श्री राजन विचारे (ठाणे) : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा इस प्रणाली को भी अभी तक मान्यता नहीं दिये जाने के बावजूद आज भी देश में कुछ संस्थाओं में इस विषय पर डिग्री और डिप्लोमा दिये जा रहे हैं जिसके आधार पर चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या सरकार इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बात सही कही है कि यह एक रिकॉगनाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। इसे मान्यता नहीं दी गई है और हमने स्टेट को इस विषय में लिखा भी था। उनसे हमने कहा था कि आपके राज्यों में यदि कोई ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऐसे संस्थान चला रहे हैं जिसमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज किये जाते हैं, आप उनको रेगुलेट करें। उनके साथ कड़ाई करें और जो हमारी ईंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी आई है, उसने भी यही तय किया है कि हम ऐसे कोर्सेज को रेगुलेट करेंगे। हमारी कोशिश है कि ये राज्य इसे इम्पलीमेंट करें क्योंकि हमने राज्यों को इस संबंध में एडवाइज़ किया हुआ है। अब यह राज्यों पर है कि अपने-अपने राज्य में वे इसे रेगुलेट करें और ऐसे लोगों को डॉक्टर टर्म इस्तेमाल करने से भी रोकें, डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज चलाने से भी रोकें और किसी भी तरीके से जब तक यह सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड न हो, आम जनमानस तक इसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। यह काम राज्यों को करना है।

ने उसे जिस प्रकार से प्रकाशित किया उससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े लोगों की मनोदशा बदल गयी।

पूरे देश में अजीबो–गरीब स्थिति पैदा हो गयी ऐसा लगने लगा था कि शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक और बन्दी की तरफ बढ़ी है, लोगों में भय व्याप्त हो गया था। यहां हम अपने पाठकों के लिये वह पत्र प्रकाशित कर रहे हैं जो प्रश्न व उत्तर हैं आप स्वंय पढ़ें और निर्णय लें कि मंत्री जी के उत्तर में क्या कमी है ? साथ ही साथ यह भी जान लें कि राज्यों के अधिकार क्या होते हैं ? हमारे जो साथी केन्द्रीय अधिकारिता की बात करते हैं उन्हें यह समझना चाहिये राज्यों की उपेक्षा किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है।

डिग्री व डिप्लोमा पर प्रतिबन्ध तथा डाक्टर शब्द के प्रयोग पर सरकार वहीं खड़ी है जहाँ 25 नवम्बर, 2003 को थी, सरकार ने एक भी बात ऐसी नहीं की है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हितों को प्रभावित कर रही हो सरकार ने मान्यता के सम्बन्ध में भी अपना स्टैण्ड स्पष्ट कर दिया है।

अब इस पत्र का पठन पाठन करने के बाद हमारे चिकित्सकों के मन में व्याप्त चिन्ता व भय दूर हो जाना चाहिये और स्वंय जागरुक हों तथा अफवाहों से दूर रहें।

इसी में ही भलायी है।

बिना आदेश सी0 एम0 ओ0 ने की कार्यवाही

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
email: registrarbehmup@gmail.com

पत्रांक – 114/बी0इ0हो0मे0/वि0/2017–18 लखनऊ, दिनांक 09-08-2017

सेवा में,
मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद रायबरेली

विषय:– इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक लालता राम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक श्री लालता राम इस बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक हैं, इनकी पंजीयन संख्या 7087 है तथा यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा प्रैक्टिस करने हेतु शासनादेश संख्या 2914/पांच–6–10–23–रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 द्वारा अर्ह हैं।

इस सम्बन्ध में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पृष्ठांकित पत्र दिनांक 21–09–2013 तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 14–03–2016 की प्रतियां आपके अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

दिनांक 02–08–2017 को ए0सी0एम0ओ0 डा0 एस0 के चक द्वारा उपरोक्त चिकित्सक के क्लीनिक का निरीक्षण किया गया तथा मोबाईल नम्बर 9450062407 पर नोटिस देने की सूचना दी गई तथा दिनांक 03–08–2017 को अमर उजाला माई सिटि में प्रकाशित समाचार झोलाछाप के दुकानों पर छापे में उपरोक्त चिकित्सक का नाम प्रकाशित करा दिया गया है। जो अनुचित ही नहीं नैसर्गिक न्याय, शासनादेश एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध है।

अतः इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय
आतिक अहमद
रजिस्ट्रार

संलग्नक:
उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि सेवा में,
अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक श्री लालता राम को सूचनार्थ।

आतिक अहमद
रजिस्ट्रार

28 जुलाई, 2017 को लोक सभा में माननीया स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा दिये गये उत्तर को समाचार पत्रों ने जि तरह से छापा उसका दुषप्रभाव प्रदेश में भी देखने को मिला है।

रायबरेली जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी ने जनपद में प्रैक्टिस कर रहे श्री लालता राम की क्लीनिक में 02 अगस्त, 2017 को ए0 सी0 एम0 ओ0 डा0 एस0 के चक द्वारा क्लीनिक का निरीक्षण कराया और उसके मोबाईल नम्बर पर नोटिस देने की सूचना दी है तथा दिनांक 03 अगस्त, 2017 को अमर उजाला समाचार पत्र में झोला छाप की दुकानों पर छापे नामक शीर्षक से समाचार छपवा कर चिकित्सक का नाम झोला छाप के रुप में प्रकाशित करवाया गया।

जैसे ही यह सूचना बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को प्राप्त हुयी बोर्ड ने त्वरित कार्यवाही करते हुये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिख कर अपना पक्ष रखा व इसकी सूचना अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जिससे कि सी0 एम0 ओ0 द्वारा की गयी मनमानी के को रोका जा सके।

बिना आदेश कार्यवाही उचित नहीं होती।

सदन में स्वास्थ्य राज्यमंत्री के बयान प्रथम पेज से आगे

गोरखपुर में सम्पन्न हो रही हैं, प्रथम चरण के वर्ताओं की सफलता से उत्साहित होकर अन्य संस्था प्रमुखों ने भी इसका अनुसरण करते हुये प्रेस वार्तायें करनी प्रारम्भ कर दी हैं जिससे कि समाज में जागरुकता पैदा हो और जो अलकल्पनीय

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ०प्र०
टण्डन मार्केट, 8–लालबाग, लखनऊ–226001
प्रशा० कार्या० : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
website: www.behm.org.in ; E-mail: behm.up@rediffmail.com

पत्रांक –89/बी०ई०एच०एम०/2017 लखनऊ,दिनांक 31–07–2017

सेवा में,
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री
भारत सरकार,
निर्माण भवन,नई दिल्ली –110011

आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ध्यान दें।

विषयः– इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2017 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में, कृपया मंत्रालय के आदेश सं० C.30011/22/2010-HR दिनांक 21–06–2011 तथा उत्तर प्रदेश शासन ,चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या –2914 पांच –6–10–22रिट/11 दिनांक 04 जनवरी,2012 (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय
(मो०हाकिम इदरीसी)
चेयरमैन

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–माननीय प्रधान मंत्री,भारत सरकार।
2–माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार।
3–माननीय आयुष मंत्री,भारत सरकार।
4–समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक,शिक्षण संस्थान एवं अध्ययन केन्द्र को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त सम्बन्धित एवं जनमानस को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

(मो०हाकिम इदरीसी)
चेयरमैन

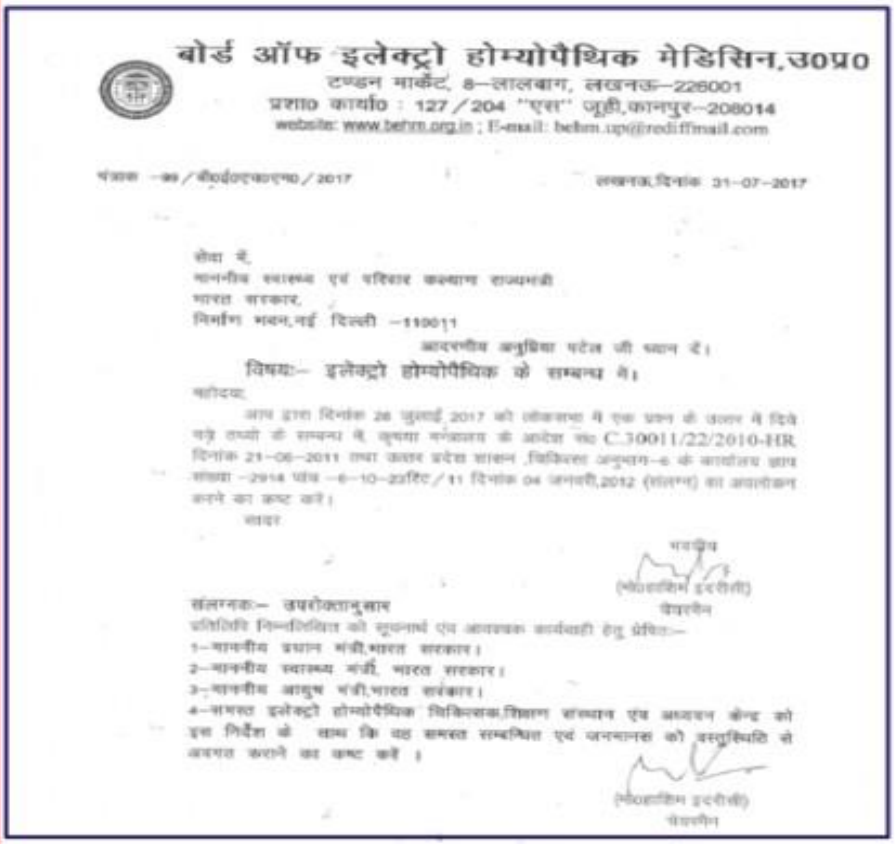

भय है उससे निजात मिले और यह कार्य इस बात का संकेत भी है कि जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बिखराव की बात करते हैं उन्हें यहां एक मत, एक राय के दर्शन भी हो रहे हैं बोर्ड के इन प्रयासों का हर जगह स्वागत हो रहा है, जिन लोगों के अन्दर यह भय व्याप्त है कि अब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे वे अपने मन से इस प्रकार के विचारों को निकाल दें क्योंकि जब तक 21 जून, 2011 का आदेश प्रभावी है तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्य में कोई बाधा नहीं है।

यहां अपने पाठकों को बताना उचित होगा कि 21 जून, 2011 का आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है या फिर विनियमित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कोई कानून नहीं बनाया जाता इस विषय को समझने के लिये 21 जून, 2011 के आदेश को आप स्वयं पढ़ें, इस आदेश में हर बिन्दु स्पष्ट कर दिये गये हैं, राज्यों को निर्देश भी है कि अपने अपने राज्यो में भारत सरकार के इस आदेश का अनुपालन किया जाये।

28 जुलाई, 2017 की जो घटना हे वह वही है कि हम जो मांगेगे वही मिलेगा, सदन में जो सवाल उठाये गये वह जानकारी कम शिकायत ज़्यादा करते हैं यह तो सरकार का सकारात्मक रुख है जो उत्तर में स्पष्ट नज़र आता है, माननीया मंत्री जी ने बड़ा ही नपा तुला जवाब दिया है और बार बार इस बात पर बल दिया है कि जो कोर्सेस चल रहे हैं उन्हें हम रगुलेट करेंगे और राज्यों से सिफारिश भी की है कि वे रेगुलेट करने की दिश में कार्य करें, सरकार ने मान्यता देने के विषय में भी स्पष्टवादिता दर्शायी है डिग्री, डिप्लोमा नहीं देने व डाक्टर टर्म के प्रयोग पर सरकार का स्टैण्ड वही पुराना है। अस्तु भय नहीं उत्साह से काम करें।

भय कार्य को प्रभावित करता है और उत्साह कार्य में सुग्राहिता लाता है।

डिप्रेशन

पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कहीं अधिक पाया जाने वाला मानसिक रोग डिप्रेशन एक बिना कारण की उदासीनता है, जो कि व्यक्ति में मासूमी, खिन्नता एवं आत्महत्या की इच्छा को पैदा करती है। रोगी का उसके परिवारजनों एवं चिकित्सक के पारस्परिक सहयोग द्वारा ही इस रोग का उपचार संभव है।मानसिक रोग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं : साइकोसिस, न्यूरोसिस और मूड डिसआर्डर साइकोसिस को पागलपन कहा जा सकता है, इस दशा में वस्तुस्थिति से रोगी का सरोकार नहीं रह जाता। समग्र व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है, रोगी अपनी असामान्य स्थिति का एहसास नहीं कर पाता। न्यूरोसिस में व्यक्ति का मन किसी बात को लेकर ऐसी अवस्था में उलझ जाता है, जिसका समाधान अथवा सामंजस्य वह नहीं कर पाता। प्रकट रूप में वह ठीक रहता है, अपना कामकाज भी कर पाता है पर मन का द्वन्द्वकुछ ऐसे अरूचिकर लक्षण पैदा करता है जो दैनिक जीवन को विषम बना देते हैं, बताने समझाने पर वह सही बात समझ पाता है।

व्यक्ति की मनोदशा या मिजाज़ या मूड कहते हैं। इसके अनुसार प्रसन्नचित्त, स्फूर्तियुक्त, आशावान अथवा उदास, शिथिल और मायूस रोजमर्रा की जिंदगी में परिवेश और परिस्थिति की भिन्नता के अनुसार सभी की मनोदशा बदल जाती है। सामान्य लोगों की मनोदशा में ये परिवर्तन किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण उन्हीं के हिसाब से होते हैं, लेकिन जब ये परिवर्तन बिना किसी विशेष बात के होते हैं और अपने साथ अन्य अरुचिकर लक्षण पैदा करते हैं तब इन्हें मूड डिसआर्डर की संज्ञा दी जाती है।

डिप्रेशन क्या है ?

सामान्य शब्दकोश में डिप्रेशन का मतलब उदासीनता है पर चिकित्सा विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली में डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। इस संदर्भ में सबसे पहली बात यह समझने की है कि स्वस्थ व्यक्ति की उदासीनता और रोगी के डिप्रेशन में क्या अन्तर है ? सामान्य उदासीनता सभी को प्रभावित करती है। तरह–तरह की परिस्थितियाँ इसका कारण होती हैं। जब कोई ऐसी बात होती है तो न्यूनाधिक समय के लिये व्यक्ति उदास हो जाता है। परिस्थिति ठीक हो जाने पर कुछ समय बाद व्यक्ति फिर सामान्य हो जाता है। जब उदासीनता का खास कारण नहीं होता फिर भी उसका मन खिन्न होता है, वह अपने अन्दर मायूसी, आत्महीनता, लाचारी, ग्लानि भाव आदि महसूस करता है और यह स्थिति जल्दी ही ठीक नहीं होती। तब यह मानसिक विकृति बन जाती है। इसी को डाक्टरी भाषा में 'डिप्रेशन' कहते हैं।

तरह–तरह के लक्षण

रोगी कब्ज, मतली, उदरपीड़ा, धड़कन, सिरदर्द, यत्रतत्र पीड़ा और तरह–तरह के लक्षणों की शिकायत करता है। झुंझलाहट और उत्तेजना भी हो जाती है, मन में आत्महत्या का विचार बहुधा आता है। अनेक व्यक्ति ऐसा भी कर डालते हैं। आम चिकित्यकों के पास आने वाले रोगियों में डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। आम आदमी की जिन्दगी में डिप्रेशन से प्रभावित होने की संभावना 8 से 20 प्रतिशत तक रहती है, महिलाओं में यह रोग पुरुषों से दो गुना ज्यादा पाया जाता है। इस रोग के लक्षण प्रायः 30 साल के ऊपर आयु होने पर शुरू होते हैं। कुछ रोगियों में से केवल 20 से 25 प्रतिशत का ही इलाज़ मिल पाता है।

कारण

डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, कुछ लोगों में यह रोग खानदानी प्रकृति के कारण होता है। इसके रोगियों के निकट संबधियों में इसकी व्यापकता अधिक पाई जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार में जहाँ कोई व्यक्ति किसी बात पर अपना आक्रोश प्रकट न करके अन्दर ही अन्दर घुटता है तो यह स्थिति उसके लिये हानिकारक हो सकती है। आक्रोश के इस दमन से उसमें कई विकार पैदा हो जाते हैं। इधर हाल में इस बात के प्रमाण मिले कि मस्तिष्क तन्तु में कुछ विशेष न्यूरोट्रांसमीटर कुछ विशेष जीव रासायनिक पदार्थ हैं, जो मस्तिष्क की तन्तु कोशिकाओं के कार्यों के लिये जरूरी होता है।

उपर्युक्त तीनों कारणों के अलावा एक और अधिक सुनिश्चित कारण है – किसी विशेष घटना या परिस्थिति का पैदा हो जाना। ऐसी हालात में जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी अरुचिकर घटना होती है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाते हैं। परिवेश और परिस्थिति की भिन्नता के अनुसार सभी की मनोदशा बदल जाती है। सामान्य लोगों की मनोदशा में ये परिवर्तन किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण उन्हीं के हिसाब से होते हैं, लेकिन जब ये परिवर्तन बिना किसी विशेष बात के होते हैं और अपने साथ अन्य अरुचिकर लक्षण पैदा करते हैं तब इन्हें मूड डिसआर्डर की संज्ञा दी जाती है।